10

उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ

महानगर, लखनऊ–226006

फोन –+ 91-522-2337452 फैक्स–+ 91-522-2337453 सीयूजी + 91-9454400122

ई-मेल–adgpac@uppac.net

पत्रांकः पीएसी–1–निर्देश–2013

दिनांकः सितम्बर 18, 2013

स्थायी आदेश संख्या :05/2013

प्रायः कर्मियों के अवकाश से गैर हाजिर होने अथवा स्थानान्तरण पर विलम्ब से पहुंचने पर उच्चाधिकारियों की अनुमति के उपरांत ही आमद कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ वाहिनियों में 03 दिन से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत अनुपस्थिति पर कम्पनी की जगह वाहिनी मुख्यालय पर आमद कराने की परम्परा है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत अनुपस्थिति से वापस होने पर निम्न प्रकार कार्यवाही की जाएगी :

(1). यदि कर्मी कम्पनी से अवकाश पर गया है तो उसकी वापसी अपनी कम्पनी में ही होगी, चाहे वह विलम्ब से आये। प्रत्येक कर्मी कम्पनी की लोकेशन जानने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(2). अनाधिकृत अनुपस्थिति के बाद आमद कराने के लिए किसी उच्चाधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं है संबंधित कर्मी सीधे अपनी कम्पनी में आमद करएगा और जी0डी0 मुंशी का दायित्व होगा कि वह उससे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसी दिन स्पष्टीकरण उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

(3). जब भी कोई कर्मी अवकाश से अनाधिकृत अनुपस्थित होता है तो प्रभारी दलनायक का दायित्व होगा कि वाहिनी मुख्यालय के नियन्त्रण कक्ष को SMS के माध्यम से कर्मी का PNO नम्बर, नाम और कम्पनी के नाम से सूचित करेगा। इसी प्रकार जब भी कोई कर्मी अनाधिकृत अनुपस्थिति से वापस आता है तो SMS के माध्यम से वाहिनी मुख्यालय के जी0डी0 मुंशी को अवगत कराएगा। वाहिनी मुख्यालय के जी0डी0 मुंशी का दायित्व होगा कि वह इसका इन्द्राज वाहिनी की जी0डी0 में करेगा। **इस हेतु वाहिनी मुख्यालय के जी0डी0 कार्यालय में एक सी0यू0जी0 युक्त फोन उपलब्ध करा दिया जाए, जिसका नम्बर समस्त कर्मियों को उपलब्ध करा दिया जाए।** प्रतिदिन का गैर हाजिर कर्मियों का ब्यौरा सेनानायक के समक्ष अगले दिन प्रातः रखा जाये।

(4). किसी भी कर्मी द्वारा जो सूचना मोबाइल फोन के माध्यम से जी0डी0 कार्यालय में अंकित कराई जाती है, यदि वह किसी प्रकार की समस्या या शिकायत के बारे में है तो जी0डी0 मुंशी का दायित्व होगा कि वह इस सूचना को लिखकर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करे।

3. सभी सेनानायक अपने दलनायकों को इस आदेश के संबंध में भली–भांति ब्रीफ करें और यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 20.09.2013 से उपरोक्त प्रक्रिया अपना ली गई है।

(रंजन द्विवेदी),
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उ0प्र0, लखनऊ।

18/9

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।
3. समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।